भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2014
दिनांक 11 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

आवारा पशु कल्याण

2014. श्री हरीश चंद्र मीना:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश में पैदल यात्रियों के लिए खतरा बन रहे आवारा कुत्तों, सांडों आदि की समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का राज्यवार, विशेषकर राजस्थान में ब्यौरा क्या है;

(ख) राजस्थान के टोंक सवाई माधोपुर जिले सहित देश में पशु कल्याण समितियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आवारा कुत्तों के टीकाकरण और आवारा सांडों के कल्याण के लिए कोई धनराशि आबंटित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. एस बघेल)

(क) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246(3) के अनुसार, पशुधन का संरक्षण, सुरक्षा और सुधार, साथ ही पशु रोगों की रोकथाम, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और अभ्यास राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसी तरह, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243(ब) के तहत, स्थानीय निकाय गोपशु बाड़ों और पिंजरापोलों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। इसलिए, राज्य पंचायतों को आवारा पशुओं को रखने के लिए गोपशु बाड़ों (कांजी हाउस) और गौशाला आश्रय (सामुदायिक संपत्ति) की स्थापना और संचालन करने का अधिकार दे सकते हैं। कई राज्यों ने आवारा गोपशुओं के लिए पहले से ही गौशालाएँ और आश्रय स्थापित किए हैं, जहाँ आवारा बोवाइन पशुओं की समस्या से निपटने के लिए भोजन और देखभाल की व्यवस्था की गई है।

आवारा कुत्तों की समस्या को विशेष रूप से नर और मादा कुत्तों की नसबंदी करके जन्म नियंत्रण कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से प्रबंधित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने स्थानीय निकायों द्वारा पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए परामर्शी जारी की है। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने नसबंदी कार्यक्रमों को लागू करने में नगर पालिकाओं का मार्गदर्शन करने के लिए पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 तैयार किए हैं। स्थानीय निकाय एबीसी कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार हैं और उन्होंने इसके कार्यान्वयन के लिए निधियां आवंटित की हैं।

राजस्थान सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार का स्थानीय स्वशासन विभाग राजस्थान में अपने नगर निकायों के माध्यम से राज्य में आवारा कुत्तों के लिए पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम क्रियान्वित करता है। इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों में नियमित आधार पर स्थानीय नॉन-डिस्क्रिप्ट सांडों और बछड़ों का बधियाकरण किया जा रहा है।

सड़कों पर घूमने वाले बेसहारा गोपशुओं के लिए, राजस्थान सरकार ने नंदीशाला कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत समिति को इसकी स्थापना के लिए सरकार 1.57 करोड़ रु. प्रदान कर रही

है। इस पहल के लिए कुल 651.70 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। अब तक, पंचायत समिति के स्तर पर 73 नंदीशालाओं का निर्माण किया जा चुका है। 19 जिलों में, 57 नंदीशालाओं को राज्य अंशदान के रूप में कुल 550.52 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने आवारा गोपशुओं को रखने के लिए गौशाला की स्थापना करने हेतु प्रति ग्राम पंचायत एक करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। अब तक, 29 जिलों से विभिन्न संगठनों के 138 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 90 संगठनों का चयन किया गया है और 38 संगठनों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें से 34 संगठनों ने पहले ही अपना कार्य शुरू कर दिया है। 10 संगठनों को 4 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिसमें से प्रत्येक को राज्य अंशदान के रूप में 40 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं।

राज्य सरकार ने बड़े पशुओं के लिए 44 रुपये प्रतिदिन और छोटे पशुओं तथा उनकी संतति के लिए 22 रुपये प्रतिदिन की दर से 270 दिनों के लिए चारे और पानी के लिए अनुदान जारी करने का भी प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, नंदीशालाओं में बैलों के रखरखाव हेतु सहायता देने हेतु 12 महीने के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है। विकलांग, दृष्टिबाधित और अंधे गोपशुओं के लिए भी पूरे वर्ष के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 से, राज्य सरकार ने इस पहल को और सुदृढ़ करने के लिए इन अनुदानों को बढ़ाने का निर्णय किया है।

सड़कों पर छोड़े जाने वाले नर गोपशुओं की समस्या से निपटने के लिए, केंद्र सरकार, गोपशुओं में कृत्रिम गर्भाधान के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, सेक्स-सॉर्टेड सीमेन तकनीक लागू कर रही है। यह तकनीक केवल बछियों के जन्म को सुनिश्चित करती है, जिससे समय के साथ नर गोपशुओं की संख्या धीरे-धीरे कम होती जाती है।

आवारा गोपशुओं को विभिन्न गौशालाओं में रखा जा सकता है, जहाँ उनके अपशिष्ट का उपयोग गाय के गोबर से बायो-सीएनजी बनाने के लिए किया जा सकता है। आवश्यक तकनीक उपलब्ध है, और केंद्र सरकार ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस तकनीक को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं और कई गौशालाओं और संगठनों ने गाय के गोबर से उत्पाद बनाना शुरू कर दिया है।

इसके अलावा, भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (AWBI) ने दिनांक 12 जुलाई, 2018 को अपने पत्र के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवारा पशुओं के संबंध में परामर्शी जारी की। एडब्ल्यूबीआई, बेसहारा पशुओं को आश्रय प्रदान करने वाले संगठनों को उनकी देखभाल के लिए अनुदान सहायता प्रदान करके प्रोत्साहित करता है। एडब्ल्यूबीआई अपनी नियमित, आश्रय, एम्बुलेंस और प्राकृतिक आपदा अनुदान योजनाओं के तहत राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों में मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों (AWO) को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। पिछले पाँच वर्षों में प्रदान किए गए अनुदानों का विवरण **अनुबंध-I** में उपलब्ध है।

(ख) अपेक्षित जानकारी नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) सरकार पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रेबीज के लिए सभी पशुओं (काटने से पहले और बाद में, दोनों के लिए) का टीकाकरण करने के लिए निधियां आवंटित करती है। अनुमोदित निधियां और टीके की खुराकों का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

आवारा सांडों के कल्याण के संबंध में, केंद्र सरकार द्वारा कोई समर्पित निधि आवंटित नहीं की गई है। हालांकि, एडब्ल्यूबीआई द्वारा पशु कल्याण संगठनों को प्रदान की जाने वाली सहायता में नर गोपशुओं को रखने वाली गौशालाओं के लिए सहायता भी शामिल है। राज्यवार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

अनुबंध-I

वर्ष 2019-20 से वर्ष 2023-24 के दौरान मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों या गौशालाओं को जारी अनुदान का राज्य-वार सारांश

क्र. सं.	राज्य	आश्रय गृह अनुदान		एंबुलेंस अनुदान		प्रकृतिक आपदा अनुदान		नियमित अनुदान और गोपशु बचाव अनुदान	
		कुल एडब्ल्यूओ	कुल अनुदान	कुल एडब्ल्यूओ	कुल अनुदान	कुल एडब्ल्यूओ	कुल अनुदान	कुल एडब्ल्यूओ	कुल अनुदान
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0	5	478800
2	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	4	260000
3	दिल्ली	0	0	0	0	0	0	3	651800
4	गुजरात	2	2250000	0	0	0	0	16	3009450
5	हरियाणा	13	124113565	10	4492150	1	500000	165	27944802
6	झारखंड	0	0	0	0	0	0	1	12000
7	महाराष्ट्र	1	1068750	0	0	0	0	19	2383625
8	मध्य प्रदेश	20	20024440	2	886300	0	0	99	11273775
9	ओडिशा	0	0	0	0	2	150000	0	0
10	पंजाब	2	2230711	0	0	0	0	1	150000
11	राजस्थान	16	15170840	7	3069000	1	50000	452	45186075
12	तमिलनाडु	1	1068750	0	0	0	0	8	339700
13	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	4	1245000
14	उत्तर प्रदेश	11	11998527	8	3600000	0	0	349	40126750
15	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	10	723600
		66	**6,62,25,583**	**27**	**1,20,47,450**	**4**	**7,00,000**	**1136**	**13,37,85,377**

राजस्थान को जारी निधियां

योजना का नाम	राज्य	कुल एडब्ल्यूओ	कुल अनुदान
आश्रय गृह अनुदान	राजस्थान	16	1,51,70,840
एंबुलेंस अनुदान	राजस्थान	7	30,69,000
प्राकृतिक आपदा अनुदान	राजस्थान	1	50,000
नियमित अनुदान और गोपशु बचाव अनुदान	राजस्थान	452	4,51,86,075

अनुबंध- II

वर्ष 2023-24 के दौरान पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण (एलएच और डीसी) के तहत रेबीज टीकों के लिए आवंटित निधियों का विवरण			
क्र. सं.	**राज्य**	**खुराकों की सं. (लाख में)**	**कुल धनराशि (लाख रु. में)**
1	हिमाचल प्रदेश	0.70	7.32
2	जम्मू एवं कश्मीर	0.50	5.00
3	केरल	9.90	115.83
4	अरुणाचल प्रदेश	0.50	17.00
5	सिक्किम	0.30	16.20
6	त्रिपुरा	1.00	25.00
7	राजस्थान	1.00	33.00
8	पश्चिम बंगाल	1.15	13.28
9	तेलंगाना	5.70	69.20
10	पुदुचेरी	0.20	6.00
11	असम	0.50	15.00
12	महाराष्ट्र	4.07	41.84
13	मणिपुर	3.00	135.00
14	गुजरात	0.75	7.50
15	ओडिशा	1.00	33.00
16	आंध्र प्रदेश	7.00	91.00
17	छत्तीसगढ	0.28	38.40
18	मेघालय	1.00	34.00
19	उत्तर प्रदेश	15.00	150.00
20	उत्तराखंड	1.00	17.00
21	कर्नाटक	10.00	210.00
	कुल	**64.55**	**1080.57**

****